प्रेस नोट- दिनांक- 16.09.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

मोटर साइकिल चोरो के गिरोह का पर्दाफाश

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश

क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षु उ0नि0 प्रशान्त दुबे द्वारा मोटर साइकिल चोरी के गिरोह पर कसा गया शिकंजा

थाना लालंगज पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना से संबंधित शातिर 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चोरो द्वारा अलग-अलग जगहों से मोटर साइकिल चोरी कर धोखे से ग्राहको को बेच दिया जाता था

चेकिंग के दौरान चोरी की 12 अदद मोटर साईकिल व 01 अदद अवैध तमंचा .12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद

थाना लालगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत थाना लालगंज व सांगीपुर बार्डर अमावा के पास से 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त अमित सरोज उपरोक्त थाना लालगंज प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0 241/2024 धारा 392 भादवि (लूट)में वांछित अभियुक्त है जिस पर 25000/-रूपये का पुरस्कार घोषित था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त दुबे मय हमराह का0 छत्रपाल, का0 ऋषिराज यादव, का0 राहुल यादव, का0 सचिन व का0 चालक माधवेश राय द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, थाना क्षेत्रान्तर्गत थाना लालगंज व सांगीपुर बार्डर अमावा के पास से 03 अभियुक्त 1-अमित सरोज पुत्र जोखू लाल सरोज नि0 तिरकोनिया थाना लालगंज जनपद

प्रतापगढ़, 2- सुबेदार तिवारी पुत्र राजनारायण तिवारी निवासी ग्राम धारूपुर थाना लालगंज प्रतापगढ़, 3- कुलदीप सरोज पुत्र दुधनाथ सरोज निवासी लाला का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्त आसु उर्फ विरेन्द्र यादव पुत्र सदानन्द यादव निवासी ग्राम उमापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर मौके से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1- अमित सरोज के पास से .12 बोर तमंचा 01 अदद .12 बोर जिन्दा कारतूस व 01 मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर, 2- सुबेदार तिवारी के पास से 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर प्लस चोरी की, 3- कुलदीप सरोज के पास से 01 प्लेचिना मोटर साइकिल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियक्तगणों की निशानदेही पर चोरी की 1.मो0सा0 हीरो स्पेलेंन्डर प्लस रंग काला सिल्वर जिसके नंबर प्लेट पर नं0 UP 80HA2147 अंकित है। 2. मो0सा0 हीरो सीडी डीलक्स ,ब्लैक जिसके नंबर प्लेट पर UP72AE787 अंकित है। 3. सुपर स्पेलेन्डर रंग सिल्बर ब्लैक जिसके नंबर प्लेट पर UP33AU8410 अंकित है। 4. हीरो स्पेलेन्डर प्लस , काले रंग की जिसके नंबर प्लेट पर UP72AL3978 अंकित है । 5. हीरो एचएफ डीलक्स लाल रंग की जिसके नंबर प्लेट पर UP72BB4807 अंकित है। 6. अपाचे सफेद रंग की जिस पर नंबर प्लेट नही लगा है। 7. सुपर स्पेलेन्डर काले रंग की जिसके नंबर प्लेट पर UP72BH1466 अंकित है। 8. मो0सा0 स्पेलेन्डर प्लस काले रंग की जिसके नंबर प्लेट पर UP70CB2329 अंकित है। 9. मो0सा0 स्पेलेन्डर प्लस काले रंग की जिसके नंबर प्लेट पर UP36M5412 अंकित है बरामद किया गया।

बरामद वाहनों के सम्बन्ध में चोरी के अभियोग थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ में मूल वाहन सं0 UP72BF5365 की चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 729/23 , वाहन सं0 UP72U6567 की चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 133/20, व वाहन सं0 UP72AW0965 की चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 662/24 पंजीकृत है। थाना सांगीपुर में वाहन सं0 UP33AV0646 की चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 131/21 व वाहन सं0 UP72BB4807 की चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 183/24 पंजीकृत है। थाना जेठवारा में वाहन सं0 UP70FY7624 की चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 238/24 पंजीकृत है। व थाना अंतू में वाहन सं0 UP72AL3978 की चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 527/24 पंजीकृत है। व वाहन सं0 UP72AY7177 को एमवी मोटर वाहन अधि0 की धारा 207 में सीज किया गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ में तीनो ने एक सुर में बताया कि साहब चारो साथी अलग अलग जगहो से काफी मोटरसाइकिले चोरी किये है और उनको छिपा कर रख देते है और फिर उनका नंबर प्लेट बदल देते है तथा चेचिस नंबर को मिटा कर दूसरा चेचिस नंबर डाल देते है और फिर भोले भाले ग्राहको को तलाश कर वाहनो के फर्जी कागज बनाकर उन्हे दिखाते है और बेच देते है।साहब हम चारो लोग आज भी चोरी की गाडियो को बेचने के लिये ग्राहको की तलाश में लालगंज गये थे। वही से वापस आ रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। और सख्ती से पूछताछ की गयी तो बताये कि कुछ चोरी की गाड़ियां हम लोगो ने उधरनपुर के जंगल में राजातारा के पास छिपा कर खड़ी किये है जिसे हम लोग चलकर बरामद करा सकते है। बरामद तीनो वाहनो को का0 छत्रपाल की निगरानी में वही पर छोड़कर शेष फोर्स के साथ अभियुक्तो को साथ में लेकर उनके बताये स्थान राजातारा से उधरनपुर मार्ग पर आये जहां एक स्थान पर अभियुक्त अमित सरोज ने वाहन को रुकवाया सरकारी वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करके तीनो अभियुक्तो को सरकारी वाहन से नीचे उतार कर फोर्स के साथ सावधानीपूर्वक उनके बताये स्थान के लिये चले तो तीनो अभियुक्त टार्च की रोशनी मे आगे आगे चलते हुये सरपत की आड़ में नौ मोटरसाइकिले जो छिपाकर रखी गयी थी को बरामद कराया।

उपरोक्त अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 12 अदद मोटर साईकिल व 01 अदद अवैध तमंचा .12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद किया गया, उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0- 395/2024 धारा 35 बीएनएसएस व धारा 317(2),317(4),317(5),318(4),319(2),338,336(3),340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-अमित सरोज पुत्र जोखू लाल सरोज नि0 तिरकोनिया थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

2- सुबेदार तिवारी पुत्र राजनारायण तिवारी निवासी ग्राम धारूपुर थाना लालगंज प्रतापगढ़।

3- कुलदीप सरोज पुत्र दुधनाथ सरोज निवासी लाला का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-अभियुक्त अमित सरोज उपरोक्त थाना लालगंज प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0 241/2024 धारा 392 भादवि (लूट)में वांछित अभियुक्त है जिस पर 25000/-रूपये का पुरस्कार घोषित था।

बरामदगी- चोरी की 12 अदद मोटर साईकिल व 01 अदद अवैध तमंचा .12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त दुबे मय हमराह का0 छत्रपाल, का0 ऋषिराज यादव, का0 राहुल यादव, का0 सचिन व का0 चालक माधवेश राय थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

कंपनी के डिलेवरी माल का फ्रेंचाइजी द्वारा गबन करने का पर्दाफाश-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में साइबर थाना व मान्धाता पुलिस बडी कार्यवाही-

सेडोफैक्स टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फ्रचाइजी द्वारा कंपनी के पार्सल/ सामानों को धोखे से कैंसिल कर कंपनी के माल को गबन करने की घटना का फर्दाफाश-

01 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 02 कैमरा के साथ 02 मोटर साइकिल पर सवार 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

अभियुक्तों के कब्जे से सेडोफैक्स टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से गवन किया हुआ मोबाइल फोन, लैपटॉप कैमरा बरामद-

सेडोफैक्स टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फ्रंचाइजी द्वारा कंपनी से आने को पार्सल को डिलेवरी अटेम्ट दिखाकर कैंसिल कर देना या धोखे से ग्राहक से ओटीपी प्राप्त कर डिलेवरी कैंसिल करना, सामानों/ पार्सलों के पैसों का ऑनलाइन हो चुका आर्डर कैंसिल कर कंपनी के माल को गवन कर लेते थे-

वैज्ञानिक साक्ष्यों/ मैनूअल साक्ष्यों के आधार पर धोखा धड़ी के धंधे का खुलासा-

थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत बुआपुर लिंक मार्ग पर ग्राम कैलाखुर्द से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

दिनांक 14.07.2024 को वादी मुकदमा अमरेश शर्मा असिसटेन्ट मैनेजर सेडोफैक्स टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड खसरा नं0 3119 से 3128 गिदान खेड़ा नादरगंज थाना सरोजनी नगर लखनऊ की तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता में विश्वासघात करने एवं धोखाधड़ी करने के संबंध मे मु0अ0सं0 114/2024 धारा 409/420 भादवि बनाम 02 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण/ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग/ दबिश दी जा रही थी।

इसी क्रम दिनांक 15.09.2024 को साइबर थाना, प्रतापगढ़ व थाना मान्धाता पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित 03 अभियुक्त, राजकमल पटेल, रजत मिश्रा, अमित सिंह को 12 अदद मोबाइल व 01 लैपटाप, 02 कैमरा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने सेडोफैक्स टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड से सर्विस प्रोवाइडर की फ्रेंचाइजी ले रखी थी। अभियुक्त पैसा कमाने की नियत से कम्पनी को धोखा देते थे। कंपनी के पार्सल को डिलीवरी अटेम्प्ट दिखाकर कैंसिल करवाना/ ओटीपी लेकर कैंसिल करवा देना/ पार्सलों का भुगतान ऑनलाइन किया गया वह आर्डर कैन्सिल कराकर अपने पास रखते थे। जिन पार्सलों का भुगतान कैश ऑन डिलीवरी होता था, उस सामान को कस्टमर को देकर पैसा लेते थे। कंपनी को यह सूचित करते थे कि ऑर्डर कैंसिल होने के बाद, उसका रिटर्न पार्सल बनाकर कंपनी को वह सामान वापस करते थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह साइबर थाना, प्रतापगढ़ मय हमराह उ0नि0 विजय कुमार यादव आरक्षी सौरभ सिंह आरक्षी पंकज पाल मय चालक हे0का0 मनोज कुमार साइबर थाना जनपद प्रतापगढ़ व थाना मान्धाता से उ0नि0 हेमन्त कुमार वर्मा मय हे0का0 विरेन्द्र कुमार यादव का0 पंकज कुमार द्वारा थाना मान्धता में पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2024 धारा 409/420 भादवि के अनावरण/ अभियुक्तों की गिरफ्तारी/ संदिग्ध व्यक्ति/ चेकिंग के दौरान, मुखबिर का सूचना पर थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत बुआपुर लिंक मार्ग पर ग्राम कैलाखुर्द से 02 मोटर साइकिल पर सवार 03 अभियुक्तों, राजकमल पटेल पुत्र रामपाल नि0 बुआपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, रजत मिश्रा पुत्र सुधीर मिश्रा नि0 रामपुर मुस्तर्का थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, अमित सिंह पुत्र उदय बहादुर सिंह नि0 हिन्दुपुर हैंसी परजी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद लैपटॉप, 12 अदद मोबाइल फोन, 02

अदद कैमरा एवं 02 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 MV ACT में सीज की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों नें पूछताछ में बताया गया कि रजत मिश्रा ने शैडोफैक्स कंपनी से सर्विस प्रोवाइडर की फ्रेंचाइजी ले रखी थी, जो मान्धाता थाने के बगल में थी। उस फ्रेंचाइजी में राजकमल पटेल ,अमित सिंह तथा अन्य लोग काम करते थे। शुरु में सब कुछ सही चल रहा था, फिर बाद में हम लोगों के मन में पैसे का लालच आ गया और हम लोग फ्रैन्चाइजी के और लोगो से छिपा कर एक टीम बना कर पैसा कमाने की नियत से कम्पनी को धोखा देने लगे, जिसके चलते कंपनी से आने वाले पार्सल को कई बार डिलीवरी अटेम्प्ट दिखाकर हम लोग कैंसिल करवा देते थे,या फिर कस्टमर को बहला फुसला कर ओटीपी लेकर कैंसिल कर देते थे। जिन सामानो/पार्सलो के पैसों का भुगतान कस्टमर द्वारा ऑनलाइन किया जा चुका होता था उन सामानों को हम लोग आर्डर कैन्सिल करा कर अपने पास रख लेते थे। जिन सामानों का भुगतान कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से होना होता था उस सामान को कस्टमर को देकर पैसा ले लेते थे। भिन्न-भिन्न कारणों से ऑर्डर को कैंसिल करा देते थे और कंपनी को यह सूचित कर देते थे कि ऑर्डर कैंसिल होने के बाद हमने उसका रिटर्न पार्सल बनाकर कंपनी को वह सामान वापस कर दिया है, इस तरह सामान और भुगतान हुआ पैसा दोनों हम लोग रख लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. राजकमल पटेल पुत्र रामपाल नि0 बुआपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

02. रजत मिश्रा पुत्र सुधीर मिश्रा नि0 रामपुर मुस्तर्का थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

03. अमित सिंह पुत्र उदय बहादुर सिंह नि0 हिन्दुपुर हैंसी परजी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद लैपटॉप,

12 अदद मोबाइल फोन,

02 अदद कैमरा

02 अदद मोटर साइकिल

पुलिस टीम का विवरण-

01. प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह साइबर थाना, प्रतापगढ़ मय हमराह उ0नि0 विजय कुमार यादव आरक्षी सौरभ सिंह आरक्षी पंकज पाल मय चालक हे0का0 मनोज कुमार साइबर थाना जनपद प्रतापगढ़

02. थाना मान्धाता से उ0नि0 हेमन्त कुमार वर्मा मय हे0का0 विरेन्द्र कुमार यादव का0 पंकज कुमार

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा के उ0नि0 अरूण कुमार मौर्य मय हमराह हे0का0 रामआश्रय यादव, हे0का0 दुर्गविजय द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0-3113/01 मु0अ0सं0-26/01 धारा 323,324,524,506 भादवि थाना जेठवारा से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1- मोतीलाल मिश्र पुत्र गौरीशंकर मिश्र, 2- लालजी मिश्र पुत्र गौरी शंकर मिश्र निवासीगण ग्राम बलापुर भड़भड़ी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1- मोतीलाल मिश्र पुत्र गौरीशंकर मिश्र निवासी ग्राम बलापुर भड़भड़ी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।

2- लालजी मिश्र पुत्र गौरी शंकर मिश्र निवासी ग्राम बलापुर भड़भड़ी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम- उ0नि0 अरूण कुमार मौर्य मय हमराह हे0का0 रामआश्रय यादव, हे0का0 दुर्गविजय थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का0 अमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान अ0सं0 35/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना लालगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1- मुन्ना सरोज पुत्र स्व0 लल्लूराम निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण- मुन्ना सरोज पुत्र स्व0 लल्लूराम निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम- उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का0 अमित कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

दुष्कर्म, धमकी देने, गर्भपात कराने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना शांती नगर भिवंडी (महाराष्ट्र) पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परियावां से वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

घटना का विवरण-

वादिनी मुकदमा के साथ आरोपीगणों द्वारा दुष्कर्म, धमकी देने, गर्भपात कराने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शांती नगर भिवंडी (महाराष्ट्र) पर अन्तर्गत 376, 376(2)n, 313, 506, 380, 34 भा0द0वि0 बनाम 02 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुंडा अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष नवाबगंज धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व

में उ0नि0 रमेश सिंह, उ0नि0 गुलाब सिंह द्वारा उ0नि0 के जी पोटे मय हमराह हे0कां0 सचिन जगताप, कां0 रुपेश जाधव, कां0 प्रशांत बरवे, म0कां0 मयुरी पाटिल थाना शांतीनगर भिवंडी, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र के साथ तलाश वांछित/ वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 376, 376(2)n, 313, 506, 380, 34 भा0द0वि0 थाना शांतीनगर भिवंडी जनपद ठाणे, महाराष्ट्र में वांछित 02 अभियुक्तगण मुजीब हाकिर अहमद अं ंसारी व आमिर साहिद हुसैन अंसारी निवासीगण ग्राम परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परियावां से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मुजीब हाकिर अहमद अं ंसारी निवासी ग्राम परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

02. आमिर साहिद हुसैन अंसारी निवासी ग्राम परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रमेश सिंह, उ0नि0 गुलाब सिंह थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

उ0नि0 के जी पोटे मय हमराह हे0कां0 सचिन जगताप, कां0 रुपेश जाधव, कां0 प्रशांत बरवे, म0कां0 मयुरी पाटिल थाना शांतीनगर भिवंडी, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्त गिरफ्तार

एसपी द्वारा अपराधियों की पतारसी सुरागरसी, निगरानी के लिये थाना कुण्डा के आरक्षी अजीत कुमार यादव, आरक्षी सुशील कुमार पटेल को लगाया गया था

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्र0नि0 सत्येन्द्र सिंह मय हमराह निरीक्षक संजय कुमार सिंह, का0 जाहर सिंह, का0 विवेक मिश्रा, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 अजीत कुमार, का0 सुशील पटेल, हे0का0चालक सुभाष यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा क्षेत्रान्तर्गत भदरी चौराहे के पास से गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह नेतृत्व में निरीक्षक अपराध श्री संजय सिंह व थाना कुण्डा के आरक्षी अजीत कुमार यादव, आरक्षी सुशील

कुमार पटेल के द्वारा पतारसी सुरागरसी, निगरानी के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों पर कसा गया शिकंजा

एसपी द्वारा अपराधियों की पतारसी सुरागरसी, निगरानी के लिये थाना कुण्डा के आरक्षी अजीत कुमार यादव, आरक्षी सुशील कुमार पटेल को दिया गया प्रशस्ति पत्र

वाहन चोरी व चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त व गैंगस्टर के गम्भीर अपराध में संलिप्त है

गैंगस्टर अपराधी सोनू पटेल सोने लाल पटेल पुत्र कंधई लाल, किशन सोनी पुत्र मुन्नालाल सोनी व शभम धूरिया उर्फ गोलू पुत्र लालचन्द्र पर लगभग आधा दर्जन चोरी के अभियोग जैसी गम्भीर धाराओं में दर्ज हैं अभियोग

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

एएसपी पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत सिंह के नेतृत्व में गैगस्टर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्तों के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी रही थी।

थाना कुण्डा पर दिनांक 15.05.2024 को मु0अ0सं0 267/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम गैंग लीडर दिनेश कुमार यादव पुत्र अमृत लाल यादव, सोनू पटेल सोने लाल पटेल पुत्र कंधई लाल, किशन सोनी पुत्र मुन्नालाल सोनी, अभिषेक धूरिया उर्फ सोनू पुत्र रामअवधेश व शुभम धूरिया उर्फ गोलू पुत्र लालचन्द्र थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.09.2024 को प्र0नि0 सत्येन्द्र सिंह मय हमराह निरीक्षक संजय कुमार सिंह, का0 जाहर सिंह, का0 विवेक मिश्रा, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 अजीत कुमार, का0 सुशील पटेल, हे0का0चालक सुभाष यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा देखभाल क्षेत्र, पेण्डिंग विवेचना, तलाश वांछित व वारण्टी, चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत भदरी चौराहे के पास से गैंगस्टर 1.सोनू पटेल उर्फ़ सोनेलाल पटेल पुत्र कंधईलाल निवासी सुल्तानपुर जयसिंह थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज, 2.किशन सोनी पुत्र मुन्नालाल सोनी निवासी पीथीपुर कौड़िहार बाजार थाना नबाबगंज जनपद प्रयागराज, 3.शुभम धुरिया उर्फ गोलू पुत्र लालचंद्र निवासी उठगी कौड़िहार थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया।

थाना कुंडा व हथिगवां थाना क्षेत्र में संगठित गिरोह बनाकर 1.सोनू पटेल उर्फ़ सोनेलाल पटेल पुत्र कंधईलाल निवासी सुल्तानपुर जयसिंह थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज, 2.किशन सोनी पुत्र मुन्नालाल सोनी निवासी पीथीपुर कौड़िहार बाजार थाना नबाबगंज जनपद प्रयागराज, 3.शुभम धुरिया उर्फ गोलू पुत्र लालचंद्र निवासी उठगी कौड़िहार थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज, वाहन चोरी व चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त करते हैं। इन तीनों पर संयुक्त रूप से (1) मु0अ0सं0-179/2023 धारा 379,411आईपीसी थाना कुंडा, (2) मु0अ0सं0- 180/2023 धारा 379, 411आईपीसी थाना कुंडा, (3) मु0अ0सं0- 182/2023 धारा 411, 413आइपीसी थाना कुंडा, (4)म0अ0सं0- 94/2023 धारा 379/411 आइपीसी थाना हथिगवां में पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.सोनू पटेल उर्फ़ सोनेलाल पटेल पुत्र कंधईलाल निवासी सुल्तानपुर जयसिंह थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज।

2.किशन सोनी पुत्र मुन्नालाल सोनी निवासी पीथीपुर कौड़िहार बाजार थाना नबाबगंज जनपद प्रयागराज।

3.शुभम धुरिया उर्फ गोलू पुत्र लालचंद्र निवासी उठगी कौड़िहार थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

आपराधिक इतिहास -

गिरफ्तार अभियक्तों 1.सोनू पटेल उर्फ़ सोनेलाल पटेल, 2.किशन सोनी, 3.शुभम धुरिया उर्फ गोलू पर थाना कुण्डा व थाना हथिगवां में पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

(1) मु0अ0सं0- 179/2023 धारा 379,411आईपीसी थाना कुंडा,

(2) मु0अ0सं0- 180/2023 धारा 379, 411आईपीसी थाना कुंडा,

(3) मु0अ0सं0- 182/2023 धारा 411, 413आइपीसी थाना कुंडा,

(4)म0अ0सं0- 94/2023 धारा 379/411 आइपीसी थाना हथिगवां

पुलिस टीमः-

प्र0नि0 सत्येन्द्र सिंह मय हमराह निरीक्षक संजय कुमार सिंह, का0 जाहर सिंह, का0 विवेक मिश्रा, का0 प्रेमवीर सिंह, का0 अजीत कुमार, का0 सुशील पटेल, हे0का0चालक सुभाष यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

अपहरण, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा थाना नोएडा सेक्टर 58 जनपद गौतमबुद्ध नगर, क्षेत्रान्तर्गत लाइटनिंग लाजिस्टिक कंपनी नोएडा सेक्टर 58 के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

आरोपी द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण करने, गाली गलौज एवं धमकी देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में दिनांक 29.09.2023 को अन्तर्गत धारा 363, 368, 504, 506 भादवि व 3(2)v एससी एसटी एक्ट बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण थाना प्रभारी पट्टी श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अजीत सिंह मय हमराह का0 अभिषेक यादव द्वारा तलाश वांछित/ वारण्टी,

विवेचना के दौरान धारा 366, 368, 504, 506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल उर्फ महाजन पुत्र हरीलाल निवासी ग्राम रमईपुर नेवादा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थाना नोएडा सेक्टर 58 जनपद गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 क्षेत्रान्तर्गत लाइटनिंग लाजिस्टिक कंपनी नोएडा सेक्टर 58 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/ साक्ष्यों/बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि0 की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशाल उर्फ महाजन पुत्र हरीलाल निवासी ग्राम रमईपुर नेवादा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अजीत सिंह मय हमराह का0 अभिषेक यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।